अन्तिम डिक्री व मुकदमा इब्तदाई

(ओ0रू 6–7 जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix D-1)

अज अदालत उपखण्ड कार्यालय कामां जिला डीग राजस्थान

इजलाश श्री सुनील कुमार झिंगोनिया आर0ए0एस0 उपखण्ड अधिकारी कामां जिला डीग

मुकदमा नं0 141 / 2003

01. विनोद कुमार उम्र 20 साल दत्तक पुत्र रतनसिंह जाति अहीर निवासी गांव लुहेसर तहसील कामां।

वादी

बनाम

01. निर्मला उम्र 52 साल पुत्री रतनसिंह पत्नी प्रभुदयाल जाति अहीर निवासी बाग का नगला तहसील कुम्हेर (भरतपुर) राजस्थान।
02. मोटी उम्र 50 साल पुत्री रतनसिंह पत्नी रघुवीर सिंह जाति अहीर निवासी बाग का नगला तहसील कुम्हेर हाल आबाद गांव लुहेसर तहसील कामां।
03. रतनसिंह उम्र 82 साल पुत्र मूलाराम जाति अहीर निवासी गांव लुहेसर तहसील कामां (मृतक)।
04. राजस्थान सरीकार जरिये तहसीलदार कामां।
05. तुलाराम पुत्र जल्ली जाति अहीर निवासी गांव लुहेसर तहसील कामां।

प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88, 89 व 188
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

यह मुकदमा आज वास्ते इनाफिलाल कतई रूबरू व हाजिर वादीगण मिनजानिव वकील उपस्थित मुद्दालय पेश होकर दावा वादी खारिज किया जाता है।

आज ....X........मुबलिग..................X..................खर्चा इस मुकदमे के मय सूद व शहर............X... ....को सर्दी सालाना आज की तारीख वसूलयावी..........X..........तक अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 26.07.2024 को जारी की गई।

वसप्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 26.07.2024 को जारी की गई।

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुद्दई	रूपया	पैसे
स्टाम्प अरजी दावा	02	00	स्टाम्प वकालतनामा	00	00
स्टाम्प वकालतनामा	03	00	स्टाम्प	00	00
स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील	00	00	स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील	00	00
खर्चा गवाहान	00	00	खर्चा गवाहान	00	00
फीस कमिश्नर	00	00	फीस कमिश्नर	00	00
बाबत इजराय हुकमनामा	00	00	बबत् इजराय हुकमनामा	00	00
मुतफर्रिक	20	00	मुतफर्रिक	00	00

कामां (डीग)

(सुनील कुमार झिंगोनिया)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी,
कामाँ (डीग)

उपखण्ड अधिकारी
कामाँ (डीग) राज०

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कामां जिला डीग राजस्थान
पीठासीन अधिकारी सुनील कुमार झिंगोनिया आर0ए0एस

मुकदमा नं0 141/2003

1. विनोद कुमार उम्र 20 साल दत्तक पुत्र रतनसिंह जाति अहीर निवासी गांव लुहेसर तहसील कामाँ।

वादी

बनाम

1. निर्मला उम्र 52 साल पुत्री रतन सिंह पत्नी प्रभुदयाल जाति अहीर निवासी बाग का नगला तहसील कुम्हेर (भरतपुर) राज0
2. मोटी उम्र 50 साल पुत्री रतन सिंह पत्नी रघुवीर सिंह जाति अहीर निवासी बाग का नगला तहसील कुम्हेर हाल आबाद गांव लुहेसर तहसील कामाँ
3. रतन सिंह उम्र 82 साल पुत्र मूलाराम जाति अहीर निवासी गांव लुहेसर तहसील कामाँ (मृत्तक)
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार साहब, कामाँ (भरतपुर)
5. तुलाराम पुत्र जल्ली जाति अहीर निवासी गांव लुहेसर तहसील कामाँ

प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88, 89 व 188
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित अधिवक्ता
श्री फूलचन्द गुप्ता एडवोकेट वादी।
श्री बाबूलाल शर्मा एडवाकेट प्रतिवादी नं0 5।

उपखण्ड मजिस्ट्रेट एवं उपखण्ड अधिकारी कामाँ (डीग)

निर्णय

दिनांक :– 26/07/2024

यह पत्रावली राजस्व अपील अधिकारी भरतपुर से रिमाण्ड होकर इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित की गई कि उभय पक्षों को पुनः सुनवाई व साक्ष्य का समुचित अवसर देते हुये पुनः नियमानुसार निर्णय पारित करें।

दावा दर्ज रजिस्टर कर उभयपक्षकारान को जरिये नोटिस तलब किया गया वादी व प्रतिवादी नं0 5 उपस्थित आये शेष प्रतिवादीगण उपस्थित नहीं आये।

वादी ने हस्व आदेश–1 नियम–10 व आदेश–6 नियम–17 जा0दी0 के तहत प्रहलाद पुत्र रामहेत को पक्षकार मुकदमा बनाये जाने हेतु दिनांक 06/02/2019 को पेश किया जिसका जबाब प्रतिवादी नं0 5 ने यह कहा कि पूर्व में भी प्रहलाद को पक्षकार मुकदमा बनाने का प्रार्थना पत्र दिया जिसका निर्णय 13/03/2008 को कर दिया अब पुनः इसी बिन्दु पर अदालत पुनः सुनवाई नहीं कर सकती वादी का प्रार्थना पत्र जो पेश किया है अस्वीकार किया जावे जो अस्वीकार कर दिया गया। वादी ने यह वाद इस आशय के साथ पेश किया है कि आराजी खसरा नम्बर 262/0.18 बांके ग्राम रावतपुरा तहसील कामाँ एवं खसरा नम्बर 248/0.83, 384/0.60, 78/0.32, 114/0.32 हैक्टर बांके ग्राम लुहेसर तहसील कामाँ में स्थित है। सबूत में नकल जमाबन्दी पेश

उपखण्ड मजिस्ट्रेट

है। यह आराजी दीगर नम्बरान के साथ वादी के बाबा मूला की खातेदारी की आराजी थी और इस प्रकार आराजी मुतदाविया भी हिन्दू संयुक्त परिवार की सम्मलित है। वादी का दत्तक पिता पांच भाई है जिनके नाम रतन सिंह, जल्ली, रूपराम, रामहेत व लालाराम है। मूला की मृत्यु के बाद आराजी इन पांचों भाईयों के नाम आई जिसका उन्होने बटवारा करके आराजी मुतदाविया को वादी के दत्तक पिता प्रतिवादी नं0 3 को बटवारे में दिया। प्रतिवादी नं0 3 ने दिनांक 09/07/1997 को आराजी मुतदाविया का बयनामा प्रतिवादी नं0 1 व 2 के पक्ष में तहरीर कराकर पंजीकृत करा दिया जबकि प्रतिवादी नं0 1 व 2 इसकी पुत्रियां है और प्रतिवादी नं0 1 व 2 गांव में भी नहीं रहती है। बयनामा में कोई रकम का लेन देन नहीं हुआ। केवल वादी के अधिकारों को समाप्त करने के लिये किये गये है । इसलिए वादी इन बयनामो को प्रभावहीन एवं शून्य घोषित करा पाने का अधिकारी है। आराजी मुतदाविया में वादी का 1/2 हिस्सा है । प्रतिवादी नं0 3 ने गैरकानूनी रूप से बेचान कर दिया है। इस कारण वादी आराजी का विभाजन करा पाने का अधिकारी है। दौराने दावा प्रतिवादी नं0 1 ने आराजी मुतदाविया के 1/2 हिस्सा को बिना किसी अधिकार के दिनांक 13/11/1997 को प्रतिवादी नं0 5 को बिना कोई रकम लिये बेचान कर दिया है। आराजी पर प्रतिवादी नं0 1 का कोई कब्जा नहीं है। इसलिये प्रतिवादी नं0 5 को किया गया बयनामा धारा 52 भारतीय सम्पत्ति अन्तरण अधिनियम के तहत प्रभावहीन है और कोई महत्व नहीं रखता है। प्रतिवादी नं0 2 ने वादी के पिता प्रहलाद को कराये गये बयनामा के बारे में कोई अनुतोष नहीं चाहा गया है। अतः वादी को आराजी मुतदाविया के 1/2 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे । वादी के हिस्से के जो बयनामा प्रतिवादी नं0 3 ने प्रतिवादी नं0 1 व 2 के पक्ष में तहरीर कराकर पंजीकृत करा दिये है वे वादी के 1/2 हिस्से तक प्रभावहीन व शून्य एवं प्रतिवादी नं0 1 ने प्रतिवादी नं0 5 को जो दिनांक 13/11/1997 को बयनामा दौराने मुकदमा कराया है वह प्रभावहीन एवं शून्य घोषित किया जावें ।

उपखण्ड मजिस्ट्रेट एवं उपखण्ड अधिकारी कामाँ (डीग)

प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन वास्ते जबाब हेतु तलब किया गया। प्रतिवादी नं0 3 रतन सिंह ने दिनांक 23/01/1998 को उपस्थित आकर अपना इकबाल दावा पेश किया जो तस्दीक शामिल फाईल किया गया। इकबाल दावा में प्रतिवादी नं0 3 ने यह बात स्वीकार की है कि उसने वादी को गोद लिया, आराजी पर उसका कब्जा है। उसने प्रतिवादी नं0 1 व 2 को कोई बयनामा नहीं किया यदि बयनामा हुआ है तो वह धोखा से हुआ है मैंने कोई बयनामा नहीं किया प्रतिवादीगण नं0 1,2,5 ने वादी के सभी कथनों को अस्वीकार किया है तथा अंकित किया है वादी को कभी प्रतिवादी नं0 3 ने गोद नहीं लिया उसका कोई कब्जा नहीं है।

प्रतिवादी संख्या 5 ने जरिये सम्मन वास्ते जबाब हेतु तलब किया गया प्रतिवादी नं0 5 ने जबाब इस आशय का पेश किया कि आराजी मुतदाविया मृत्तक रतन लाल की स्वयं की खातेदारी की आराजी थी जिससे किसी का कोई संबंध नहीं है। वादी का आराजी मुतनाजा में कोई हिस्सा नहीं है रतन लाल ने वादी को गोद ही नहीं लिया अगर न्यायालय द्वारा किसी कदर गोद भी मान लिया जाता है तो ऐसी स्थिति में भी वादी का कोई हिस्सा नहीं बनता है क्योकि बंटवारा हो जाने के बाद आराजी मुतदाविया प्रतिवादी की निजी सम्पत्ति हो गई जिसमें वादी का कोई सरोकार नहीं है वादी को अपने नाम खातेदारी घोषित करा पाने का कोई अधिकार नहीं है। प्रतिवादी नं0 3 को आराजी मुतदाविया को वय करने का पूर्ण अधिकार था प्रतिवादी नं0 1 व 2 के हक में बयनामा प्रतिफल लेकर कराये गये है तथा मौके पर कब्जा प्रतिवादी नम्बर 1 व 2 को दिया गया है वादी का आराजी मुतदाविया में कोई हक नहीं बनता है इसलिए उसे

उपखण्ड अधिकारी

बयनामा को शून्य घोषित कराने का कोई अधिकार नहीं है। वादी को मृत्तक प्रतिवादी रतन सिंह ने कभी गोद नहीं लिया न ही गोद की रस्म ही अदा हुई है गोदनामा छल फरेव से कराया गया है गोदनामा से ही वादी को दत्तक पुत्र के अधिकार नहीं मिल जाते है गोद की रस्म अदायगी होने पर ही गोद वैधानिक रूप में मान्य होता है। गोद रस्म नहीं होने की सूरत में गोदनामा कोई महत्व नहीं रखता है जहाँ तक प्रतिवादी नं0 3 द्वारा वादी के हक में इकबाल दावा व राजीनामा दिये जाने का प्रश्न है वह वादी के पिता प्रहलाद द्वारा नाजायज दबाब व प्रभाव के आधार आराजी मुत0 बिक जाने के बाद प्रस्तुत कराया गया है जिससे भी वादी को किसी प्रकार की कोई सहायता नहीं मिलती है। वादी जब तक अपने आपको मृत्तक रतन सिंह दत्तक पुत्र घोषित नहीं कराले तब तक उसे दावा हाजा लाने का कोई अधिकार नहीं है गोद की वैधता सिविल कोर्ट ही तय करती है । अतः जबाब दावा पेश कर निवेदन है कि दावा वादी खारिज फरमाया जावें।

वादी के अर्जी दावा व प्रतिवादीगण के जबाब दावा के आधार पर वाद वादी में निम्न तनकी कायम की गई।

तनकी नं0 1 :– आया आराजी मुतदाविया मूला की खातेदारी की आराजी थी और वादी को रतन सिंह ने गोद लिया था तथा आराजी संयुक्त परिवार की सहभागीदारी की सम्पत्ति थी।

तनकी नं0 2 :– आराजी आराजी मुतदाविया आपसी बंटवारे में वादी के दत्तक पिता के बंट में आई और वादी का पक्ष में 1/2 हिस्सा निहित था तथा 1/2 हिस्से पर हिन्दू परिवार कोपासनर के रूप में आराजी मुतदाविया अपने नाम करा पाने का अधिकारी है।

तनकी नं0 3 :– आया प्रतिवादी नं0 1 ने जो बयनामा दिनांक 13/11/97 को प्रतिवादी नं0 5 को कराया है वह धारा 52 भारतीय सम्पत्ति अन्तरण अधिनियम के तहत प्रभावहीन है और महत्व नहीं रखता है।

उपखण्ड मजिस्ट्रेट एव उपखण्ड अधिकारी कामाँ (डीग)

तनकी नं0 4 :– आया वादी प्रतिवादीगण को हुक्म इम्तनाई दवामी की डिक्री से पाबंद करा पाने का अधिकारी है।

तनकी नं0 5 :–आया न्यायालय हाजा को मुकदमा सुनने का अधिकार हासिल नहीं है।

तनकी नं0 6 :– दादरसी ।

वादी ने अपने सबूत दस्तावेजों में असल गोदनामा प्रदर्श पी0 1 नकल जमाबन्दी सम्वत 2051 लगायत 2054, प्रदर्श पी0–2, नकल जमाबन्दी सम्वत 2033 लगायत 2036, प्रदर्श पी0 3 नकल जमाबन्दी सम्वत 2053 लगायत 2056, प्रदर्श पी0 4 नकल जमाबन्दी सम्वत 2020 लगायत 2023 , प्रदर्श पी0 5 नकल खसरा सम्वत 2009, प्रदर्श0 पी0 –6 नकल बयनामा दिनांक 09/07/1997, प्रदर्श पी0–7 नकल बयनामा दिनांक 09/07/1997 प्रदर्श पी0–8 नकल खसरा सम्वत 2009 प्रदर्श पी0–9 पेश किये तथा मौखिक साक्ष्य में विनोद कुमार का ब्यान पी0डब्लू0 1 दर्ज कराकर वादी ने अपनी साक्ष्य समाप्त की। प्रतिवादीगण ने अपनी तरदीद में सबूत दस्तावेजी में नकल बयनामा दिनांक 22/10/99 प्रदर्श डी0–1 पेश की है तथा मौखिक साक्ष्य में तुलाराम का ब्यान डी0डब्लू0 1 दर्ज कराकर प्रतिवादीगण द्वारा अपनी साक्ष्य समाप्त की।

उभयपक्ष की ओर लिखित बहस पेश की गई तथा मौखिक बहस पेश की। प्रस्तुत दस्तावेज का अवलोकन किया गया। तनकीबार निर्णय निम्न प्रकार से है।

तनकी नं0 1 :– आया आराजी मुतदाविया मूला की खातेदारी की आराजी थी और वादी को रतन सिंह ने गोद लिया था तथा आराजी संयुक्त परिवार की सहभागीदारी की सम्पत्ति थी। उक्त तनकी को सिद्ध करने का भार वादी पर है। वादी द्वारा दावा आराजी

उपखण्ड अधिकारी

खसरा नम्बर 262/0.18 बांके ग्राम रावतपुरा व खसरा नम्बर 448/0.83, 384/0.60, 78/0.32, 114/0.32 हैक्टर बांके ग्राम लुहेसर के समस्त में 1/2 हिस्सा का पेश किया है। प्रस्तुत नकल जमाबन्दी प्रदर्श पी0–2 के अनुसार आराजी खसरा नम्बर 262/0.18 रावतपुरा पर रतनसिंह पुत्र मूलाराम कौम अहीर निवासी लुहेसर खातेदार है तथा नकल जमाबन्दी प्रदर्श पी0–4 के अनुसार खसरा नम्बर 448/0.83, 384/0.60, 78/0.32, 114/0.32 बांके ग्राम लुहेसर खातेदार अंकन है। नकल जमाबन्दी प्रदर्श पी0–3 के अनुसार आराजी खसरा नम्बर 114,248, 78,384 व अन्य खसरा नम्बरान पर रतन, जल्ली, रूपराम, रामहेत, लालाराम पिसरान मूला वाहिस्सा बराबर कौम अहीर साकिन देह खातेदार है तथा इसी जमाबन्दी में इनका विभाजन होना तथा आराजी खसरा नम्बर 248, 384, 78, 114 को रतनसिंह के हिस्से में तथा अन्य आराजी उनके अन्य भाईयों के हिस्से में दिया जाना प्रकट है। प्रहलाद ने अपने लडके विनोद को अपने चाचा रतन के गोद जाना बताया है विवादित आराजी खसरा नम्बर 248, 386, 78, 114 व 262 है। इनमें 114 और 248 पैत्रिक नहीं है। प्रतिवादी नं0 05 के के जबाव में कहा कि वादी प्रतिवादी नं0 3 रतन का दत्तक पुत्र नहीं है। गोदनामा दिनांक 19/03/1997 वादी के पिता प्रहलाद ने छल फरेव से किया है प्रतिवादी नं0 3 ने वादी को कभी गोद नहीं लिया और ना ही गोद की रस्म ही अदा हुई। वादी किसी भी सूरत में मृत्तक रतन का दत्तक पुत्र नहीं माना जा सकता। जहाँ गोदनामा विवादित हो जाता है और परिवार के सदस्य ही गोदनामा को फर्जी बता रहे है तो इस विवादित गोदनामा को सिविल न्यायालय से प्रमाणित कराना चाहिए था ऐसी सूरत में गोदनामा पर संदेहप्रद है। तथाकथित गोदनामा दिनांक 19/03/1997 को प्राकृतिक पिता प्रहलाद सिंह गंगाराम शर्मा डीडराईटर विद्यादेवी पत्नी प्रहलाद सिंह , गवाह रहीम बक्स व यादराम को पेश नहीं किया है । प्रदर्श 1 गोदनामा में यह स्पष्ट रतन सिंह ने दर्ज किया है कि मेरे नाम जो चल अचल सम्पत्ति कृषि भूमि जायजाद जहाँ पर भी मेरे नाम से होगी मरने के बाद विनोद कुमार को मेरे पुत्र के समान पूर्ण अधिकार होगा। क्योंकि यदि गोद लेता तो उसकी रस्म में परिवार वालों को अवश्य बुलाते इससे यह भी साक्ष्य दी है कि विनोद कुमार पी0डब्लू0 1 रतन सिंह के दाहसंस्कार में पहुंचा और ना पगडी में पहुंचा और न विनोद कुमार ने दाहसंस्कार रतन सिंह का किया और ना पगडी बंधी पगडी प्रतिवादी तुलाराम के पिता जल्ली को बंधी इस प्रकार रीति रिवाज के अनुसार दत्तक पुत्र को नहीं बंधी दत्तक पुत्र लेना भी प्रमाणित नहीं है। दत्तक पिता व दत्तक पुत्र के मध्य सम्पत्ति ना बेचने बाबत कोई लिखित अनुबन्ध नहीं है अतः दत्तक पिता को सम्पत्ति बेचने से रोकने का हक नहीं है जैसा कि एआइआर 2001 एससी पेज 266 में कहा गया है अपने कथन के समर्थन में उन्होने आर0आर0डी0 96 पेज 521 , आर0आर0डी0 1991 पेज 426, आर0आर0डी0 2000 पेज 18 , ए0आई0आर0 1995 एमपी 238 , का हवाला दिया गया है वकील प्रतिवादी नं0 5 द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त इस प्रकरण पर पूर्ण रूप से चस्पा होते है उक्त विवेचन के आधार पर उक्त तनकी वाहक प्रतिवादीगण विरूद्ध वादी निर्णित की जाती है।

तनकी नं0 2 :– आराजी आराजी मुतदाविया आपसी बंटवारे में वादी के दत्तक पिता के बंट में आई और वादी का पक्ष में 1/2 हिस्सा निहित था तथा 1/2 हिस्से पर हिन्दू परिवार कोपासनर के रूप में आराजी मुतदाविया अपने नाम करा पाने का अधिकारी है।

उक्त तनकी को सिद्ध करने का भार वादी पर है। आराजी वादी के दत्तक पिता रतन सिंह के बट में आने के संबंध में खुलासा किया जा चुका है। जिसमें गोदनामा को संदेहप्रद माना गया है और गोदनामा को सिविल न्यायालय द्वारा भी प्रमाणित नहीं

उपखण्ड अधिकारी
कामाँ (डीग) राज०

कराया गया है। जब बट में आने के बाद रतन सिंह की स्वयं की आराजी मानी जाती है और दो नम्बर 114 और 248 पैत्रिक नहीं है। रतन सिंह ने एक ही बयनामा द्वारा अपनी दोनो पुत्रीयों को बयनामा कराया है वो सही है। उक्त विवेचन के आधार पर उक्त तनकी वाहक प्रतिवादीगण विरूद्ध वादी निर्णित की जाती है।

तनकी नं0 3 :– आया प्रतिवादी नं0 1 ने जो बयनामा दिनांक 13/11/97 को प्रतिवादी नं0 5 को कराया है वह धारा 52 भारतीय सम्पत्ति अन्तरण अधिनियम के तहत प्रभावहीन है और महत्व नहीं रखता है।

उक्त तनकी को सिद्ध करने का भार वादी पर है। प्रतिवादी नं0 1 द्वारा प्रतिवादी नं0 5 के पक्ष में किया गया बयनामा व प्रतिवादी नं0 2 मोटी के द्वारा कराया गया बयनामा जो वादी के पिता प्रहलाद को कराया गया है वो सही है दावा रिमाण्ड होने के बाद कोई स्थगन आदेश जारी नहीं किया गया न्यायिक दृष्टान्त आर0जे0टी0 2010 पेज 23 व न्यायिक दृष्टान्त सी0सी0सी0 2013 पेज 64 में भी लागू नहीं होती है। क्योकि विनोद कुमार वादी को रतन सिंह के जीवन काल में तथाकथित गोदनामा के अनुसार कोई भी अधिकार प्राप्त नहीं हुये थे। तनकी संख्या 1 व 2 प्रतिवादीगण के पक्ष में निर्णय हो गयी है। ऐसी स्थिति में उक्त तनकी वाहक प्रतिवादीगण विरूद्ध वादी निर्णित की जाती है।

तनकी नं0 4 :– आया वादी प्रतिवादीगण को हुक्म इम्तनाई दवामी की डिक्री से पाबंद करा पाने का अधिकारी है।

उक्त तनकी को सिद्ध करने का भार वादी पर है। विनोद कुमार ने अपनी जिरह की अंतिम लाईनों में स्वीकार किया है कि प्रहलाद कुमार का मोटी वाले हिस्से पर कब्जा है तथा प्रतिवादी नं0 5 तुलाराम प्रतिवादी नं0 1 निर्मला के हिस्से पर काबिज है मेरा कब्जा नहीं है मैंने यह दावा तुलाराम को कराये गये बयनामा को कैसिंल/निरस्त कराने का किया है जो बयनामा पेश नहीं किया है। बयनामा कैंसिल करने का क्षेत्राधिकार सिविल न्यायालय को है। तनकी नं0 1,2,3 का निस्तारण वाहक प्रतिवादीगण विरूद्ध वादी किया जा चुका है। इसलिये वादी प्रतिवादी नं0 5 को हुक्म इम्तनाई दवामी की डिक्री से पाबन्द करा पाने का अधिकारी नहीं है। ऐसी स्थिति में उक्त तनकी वाहक प्रतिवादी नं0 5 विरूद्ध वादी निर्णित की जाती है।

तनकी नं0 5 :– आया न्यायालय हाजा को मुकदमा सुनने का अधिकार हासिल नहीं है।

उक्त तनकी को सिद्ध करने का भार प्रतिवादीगण पर है। वादी द्वारा अपने दावे में बयनामा दिनांक 09/07/97 को निरस्त कराने हेतु अनुतोष चाहा है जिसे सुनने का क्षेत्राधिकार सिविल न्यायालय को है। प्रहलाद को किये गये बयनामें उचित व तुलाराम को किए बयनामा अनुचित बताता है इससे पूरा दावा दूषित हो जाता है। इस कारण राजस्व न्यायालय यानि न्यायालय हाजा को तीनों बयनामों में से किसी को भी शून्य एवं प्रभावहीन घोषित किये जाने का क्षेत्राधिकार नहीं है। ऐसी स्थिति में उक्त तनकी वाहक प्रतिवादी नं0 5 विरूद्ध वादी निर्णित की जाती है।

तनकी नं0 6 :– दादरसी ।

तनकी संख्या 1,2,3,4,5 प्रतिवादीगण के पक्ष में निर्णित हो गई है ऐसी स्थिति में दावा वादी खारिज किये जाने योग्य है।

उपखण्ड मजिस्ट्रेट एवं उपखण्ड अधिकारी कामाँ (डीग)

उपखण्ड अधिकारी
कामाँ (डीग) राज०

हमने पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजात व मौखिक साक्ष्य का पूर्ण रूप से अवलोकन किया और तनकी वाईज पूर्ण विवरण से दावा वादी अस्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः आज्ञा है कि :-

उक्त विवेचन के आधार पर दावा वादी अस्वीकार किया जाता है। तदानुसार पर्चा डिक्री जारी हो। प्रकरण नम्बर से कम किया जाकर बाद तकमील तामील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 26/07/2024 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

उपखण्ड मजिस्ट्रेट एवं उपखण्ड अधिकारी कामाँ (डीग)

(सुनील कुमार झिंगोनिया)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
कामां, डीग

उपखण्ड अधिकारी
कामाँ (डीग) राज०